पत्रांक–2ब०/बजट–अभि० का वेतन–08–01/2025 (पार्ट) /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **विभागीय एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अंर्तगत नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर तथा नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर कार्यालय में प्रयोगशाला संचालन के लिए उपकरण पर व्यय हेतु अधियाचना के आलोक में कुल राशि ₹1042672.00 (दस लाख बयालीस हजार छह सौ बहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अंर्तगत नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर को ₹802896.00 (आठ लाख दो हजार आठ सौ छियानवे रूपये) तथा नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को ₹239776.00 (दो लाख उनतालीस हजार सात सौ छिहत्तर रूपये) कार्यालय में प्रयोगशाला संचालन के लिए उपकरण पर व्यय हेतु अधियाचना के आलोक में कुल राशि ₹1042672.00 (दस लाख बयालीस हजार छह सौ बहत्तर रूपये) मात्र का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के अनुरोध के आलोक में नगर विकास गुण –नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर तथा नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को प्रयोगशाला संचालन के लिए उपकरण हेतु कुल राशि ₹1042672.00 (दस लाख बयालीस हजार छह सौ बहत्तर रूपये) मात्र की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	**कार्यालय का नाम**	**उपकरण हेतु कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)**
1	*2*	*3*
1	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर।	802896.00
2	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास गुण–नियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर।	239776.00
	कुल	**1042672.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1042672.00 (दस लाख बयालीस हजार छह सौ बहत्तर रूपये) मात्र।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–48 (नगर विकास एवं आवास विभाग), मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन,

उप शीर्ष–0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड–48-2217-05-001-0008 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0008.13.01 कार्यालय व्यय मद से की जाएगी।

4. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के राशि के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होकर राशि का भुगतान किया जायेगा। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यपालक अभियंता होंगे, जिनके द्वारा कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि की निकासी की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०–48-2217-05-001-0008 मांग सं0–48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/बजट–अभि० का वेतन–08–01/2025 (पार्ट) के पृष्ठ सं०–38/टि० पर दिनांक–29/01/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 39/टि० पर दिनांक– 29/01/26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–अभि० का वेतन–08–01/2025 (पार्ट) 471 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/01/26

प्रतिलिपिः–संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के संयुक्त सचिव।